सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 509 राँची, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2025

संख्या-ख०नि०(विविध)-70/2024-2582--खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के प्रावधानान्तर्गत खनिज ब्लॉक के समानुदान का कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाना है। खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-D.O No. 7/42/2024-Mines-IV, दिनांक-03.11.2025 के द्वारा जिलान्तर्गत District Level Pre-Auction Committee गठित करने का अनुरोध किया गया है ताकि भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों (Land scheduling issues)का समाधान खनिज ब्लॉक के नीलामी के पूर्व किया जा सके।

अतएव उपरोक्त के आलोक में खनिज ब्लॉक के नीलामी के पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु जिलान्तर्गत District Level Pre-Auction Committeeका गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(i)	**उपायुक्त**	:-	अध्यक्ष
(ii)	**अपर समाहर्ता**	:-	सदस्य
(iii)	**वन प्रमण्डल पदाधिकारी**	:-	सदस्य
(iv)	**संबंधित उप निदेशक, खान**	:-	सदस्य
(v)	**जिला भू-अर्जन पदाधिकारी**	:-	सदस्य
(vi)	**भूमि सुधार उप समाहर्ता**	:-	सदस्य

(vii) जिला खनन पदाधिकारी :- सदस्य सचिव

2- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 509 - 50